



Neutral Citation No. – 2026:AHC: 65206

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या –

10066 वर्ष 2025

सूरज गोंड

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : गोपाल कृष्ण पांडे, सुजीत नाथ पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आदित्य उपाध्याय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण पांडेय, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमरीश पांडेय तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. इस न्यायालय ने दिनांक 17.12.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था :-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण पांडेय तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राधेश्याम और प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमरीश पांडेय को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 78 वर्ष 2025, धारा 3(5), 351(2) एवं 110 बी.एन.एस., थाना कोतवाली, जिला मऊ में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उपर्युक्त मामले में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रारंभ में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 125, 115(2) एवं 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत दर्ज की गई थी और अब आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को उक्त धाराओं के अंतर्गत जमानत प्रदान की गई थी और अब जोड़ी गई धाराओं अर्थात् धारा 3(5), 351(2), 110 बी.एन.एस. के अंतर्गत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी अथवा न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। कहा गया है कि यदि

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जो वाद अपराध संख्या 200 वर्ष 202, थाना दोहरीघाट, जिला मऊ में पंजीकृत है, जिसकी व्याख्या नहीं की गई है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने भी अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसकी व्याख्या नहीं की गई है।

6. प्रत्युत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक उक्त मामले की स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपूरक शपथपत्र दाखिल करेगा और इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आवेदक को कुछ अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाए।

7. यह कहा जा सकता है कि **सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की वास्तविक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की उपर्युक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त मुकदमा संख्या में सम्मिलित आवेदक-सूरज गोंड को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर दिनांक 28.01.2026 तक निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त निर्धारित तिथि को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और अंतरिम अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा;

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

9. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय द्वारा आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

10. इस मामले को दिनांक 28.01.2026 को नवीन वाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. इस बीच, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता विद्वान ए.जी.ए. द्वारा इंगित आपराधिक इतिहास को अभिलेख पर लाते हुए अनुपूरक शपथपत्र दाखिल कर सकते हैं।"

3. आज जब मामला पुकारा गया, तो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने एक अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदक का नाम थाना दोहरीघाट, जिला मऊ में दर्ज वाद अपराध संख्या 200 वर्ष 2023 में नहीं है। पिछली बार विद्वान ए.जी.ए. द्वारा इंगित किया गया आपराधिक इतिहास गलत रूप से आवेदक के विरुद्ध दर्शाया गया है।
4. विद्वान ए.जी.ए. ने अनुपूरक शपथपत्र में आवेदक द्वारा किए गए दावे का खंडन नहीं किया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष की गई उन दलीलों को दोहराया है, जो पूर्व आदेश दिनांक 17.12.2025 में दर्ज हैं। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त सत्याम यादव एवं सचिन यादव को इस न्यायालय द्वारा एन.ए. जमानत संख्या 10344 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 10.03.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत का भी आवेदक द्वारा दुरुपयोग नहीं किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर अग्रिम जमानत की मांग की गई है।
6. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु इस तथ्य से विवाद नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त सत्याम यादव एवं सचिन यादव को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।
7. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करना उचित समझता हूँ।
9. अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
10. मुकदमा अपराध संख्या 78 वर्ष 2025, धारा 3(5), 351(2) एवं 110 बी.एन.एस., 2023, थाना-कोतवाली, जिला मऊ में सम्मिलित आवेदक-**सूरज गोंड** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे पूर्व आदेश दिनांक 17.12.2025 में निर्धारित उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

28 मार्च, 2026

कुशल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”